

सं0सं0-5 बजट (1) 20/2022 (Part) ...6.1.2022 (वि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक ...15-03-2024

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत गोड्डा जिला के पथरगामा अंचल में अवस्थित बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य के प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल प्राक्कलित राशि 87,63,300/- रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अधोवृद्धित राशि 27,64,100/- (सताईस लाख चौंसठ हजार एक सौ) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत गोड्डा जिला के पथरगामा अंचल में अवस्थित बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य के लिए 59,99,200/- सहित कुल 394.75456 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख पचहत्तर हजार चार सौ छप्पन) रुपये मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-52/रा0वि0 दिनांक-25.03.2023 द्वारा प्रदान की गयी थी।

2. निदेशक मत्स्य द्वारा सूचित किया गया है कि बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य की प्राक्कलित राशि अनुसूचित दर (SOR) 2018 पर आधारित थी। निविदा के समय नयी SOR, 2022 लागू होने के कारण उक्त कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी है। उक्त के आलोक में नये SOR, 2022 के आधार पर उक्त जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि 87,63,300/- रुपये मात्र है। पुनरीक्षित प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, भवन प्रमण्डल, दुमका से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। वर्ष 2022 के अनुसूचित दर पर तैयार पुनरीक्षित प्राक्कलन की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि रू0 में)

कार्य का नाम	मूल स्वीकृत की राशि	प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि	नये SOR, 2022 के फलस्वरूप अधोवृद्धित राशि (3-2)
1	2	3	4
गोड्डा जिला के पथरगामा अंचल में अवस्थित बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य	59,99,200	87,63,300	27,64,100

(सताईस लाख चौंसठ हजार एक सौ) रुपये

उक्त के आलोक में निदेशक, मत्स्य द्वारा बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य हेतु 87,63,300/- रुपये मात्र मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अधोवृद्धित राशि 27,64,100/- (सताईस लाख चौंसठ हजार एक सौ) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3/4/24

सही

107

04. निदेशक मत्स्य से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत गोड्डा जिला के पथरगामा अंचल में अवस्थित बारकोप मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कार्य के प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल प्राक्कलित राशि 87,63,300/- रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अधोवृद्धित राशि 27,64,100/- रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

मॉग सं०-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-4405-मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय

क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-72- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना - विस्तृत शीर्ष -05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010172010545	225.00	196.89929	27.641	0.45971
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-72- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079672010545	250.00	250.00	0	0
कुल योग :		475.00	446.89929	27.641	0.45971

मो० 27.641 लाख (सताईस लाख चौसठ हजार एक सौ) रू० मात्र।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत उपबंधित राशि के अधीन ही राशि का व्यय लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में ही किया जायेगा।

5. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि० दिनांक 15.07.2003 एवं पत्रांक-533/वि० दिनांक 03.03.2004 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

7. निर्माण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

3/11/23

सही

by

8. स्वीकृत सभी योजनाओं को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप कराने के साथ-साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्यों का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।
10. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।
11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो।
13. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्राक्धानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
14. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-०१/आर०-०४/२००१/१२६९ दिनांक २१ सितम्बर, २०२३ की कंडिका ४.१ के आलोक में उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
15. पुनरीक्षण प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ६१२००(वि०)/राँची, दिनांक १५-०३-२०२४

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ६१२००(वि०)/राँची, दिनांक १५-०३-२०२४

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल/योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

5/1/24